लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *493
दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिये जाने के लिये

पहचान कार्ड योजना

***493. श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः**
डॉ. मनोज राजोरियाः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ की गई पहचान कार्ड योजना तथा इस योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने कारीगर राज्य-वार पंजीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत इन हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय लाभ/सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अब तक कितने कारीगर लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इन कारीगरों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *493 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

(क): पहचान योजना का आरंभ 2016 में कारीगरों को एक नई वैश्विक पहचान प्रदान करने के लिए किया गया था ताकि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे उनके खातों में पहुँच सकें। वस्त्र मंत्रालय के फील्ड पदाधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापन के उपरांत आधार लिंक्ड पहचान कार्ड जारी किए जाते हैं। केवल पहचान कार्ड धारक ही विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं।

(ख): 28.02.2022 तक देश भर में 28.92 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत किया गया है। हस्तशिल्प कारीगरों के राज्य-वार आंकड़े **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ग) से (ङ): जी हाँ महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। पहचान के अंतर्गत पंजीकृत कारीगर ही विभिन्न विपणन कार्यक्रमों, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, डिजाइन कार्यशालाओं आदि में भाग लेकर इन योजनाओं (राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तथा बृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कारीगरों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए परिश्रमिक के मुआवज़े के साथ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। एनएचडीपी की कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ योजना में ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी घटक के अंतर्गत, प्रति कारीगर 3 वर्षों की अवधि के लिए 1.00 लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि पर 6% की दर से ब्याज अनुदान तथा 20,000/- रुपए की अधिकतम ऋण राशि पर 20% की दर से मार्जिन मनी भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 1 लाख रूपए से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कृत कारीगरों को 5,000/- रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) की अवधि के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 3.71 लाख कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *493 के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	**राज्य**	**पंजीकृत कारीगर (दिनांक 28.02.2022 के अनुसार)**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,874
2.	आंध्र प्रदेश	61,023
3.	अरुणाचल प्रदेश	9,513
4.	असम	89,067
5.	बिहार	1,34,294
6.	छत्तीसगढ़	14,371
7.	दिल्ली	18,672
8.	गोवा	7,904
9.	गुजरात	1,31,760
10.	हरियाणा	47,695
11.	हिमाचल प्रदेश	20,057
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1,11,795
13.	झारखंड	1,03,729
14.	कर्नाटक	37,642
15.	केरल	49,330
16.	लद्दाख	2,766
17.	मध्य प्रदेश	90,089
18.	महाराष्ट्र	63,287
19.	मणिपुर	69,737
20.	मेघालय	4,773
21.	मिज़ोरम	4,122
22.	नागालैंड	9,766
23.	ओडिशा	1,85,595
24.	पुदुच्चेरी	16,422
25.	पंजाब	34,992
26.	राजस्थान	1,44,380
27.	सिक्किम	2,864
28.	तमिलनाडु	63,430
29.	तेलंगाना	38,876
30.	त्रिपुरा	13,858
31.	उत्तर प्रदेश	9,88,456
32.	उत्तराखंड	40,833
33.	पश्चिम बंगाल	2,77,869
	कुल	**28,91,841**

****